सफेद फास्फोरस दियासलाई प्रतिषेध अधिनियम, 1913

(1913 का अधिनियम संख्यांक 5)

[7 मार्च, 1913]

सफेद फास्फोरस से बनाई गई दियासलाइयों का आयात, विनिर्माण और विक्रय प्रतिषिद्ध करने के लिए अधिनियम

सफेद फास्फोरस से बनाई गई दियासलाइयों का आयात, विनिर्माण और विक्रय प्रतिषिद्ध करना समीचीन है; अत: एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सफेद फास्फोरस दियासलाई प्रतिषेध अधिनियम, 1913 है ।

(2) इसका विस्तार [1][उन राज्यक्षेत्रों] के सिवाय [1][जो 1 नवम्बर, 1956 से ठीक पूर्व भाग ख राज्यों में समाविष्ट थे], सम्पूर्ण भारत पर है ; और

(3) यह जुलाई, 1913 के प्रथम दिन को प्रवृत्त हो जाएगा, सिवाय धारा 6 के जो जुलाई, 1914 के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगी ।

2. परिभाषा—इस अधिनियम में "सफेद फास्फोरस" से वह पदार्थ अभिप्रेत है जो सामान्यतया सफेद फास्फोरस या पीले फास्फोरस के रूप में जाना जाता है ।

3. [**1878 के अधिनियम सं० 8 की धारा 18 में परिवर्धन द्वारा आयात का प्रतिषेध**—निरसन अधिनियम, 1938 (1938 का 1) की धारा 2 और अनुसूची द्वारा निरसित ।

4. दियासलाइयों के विनिर्माण में सफेद फास्फोरस के प्रयोग का प्रतिषेध—(1) कोई व्यक्ति दियासलाइयों के विनिर्माण में सफेद फास्फोरस का प्रयोग नहीं करेगा ।

(2) कोई व्यक्ति, जो दियासलाइयों के विनिर्माण में सफेद फास्फोरस का प्रयोग करेगा या अपने नियंत्रणाधीन किसी व्यक्ति को ऐसा प्रयोग करने देगा, जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

5. विनिर्माण में प्रयोग में आने वाले पदार्थ के नमूने लेने की कारखाना निरीक्षक की शक्ति—(1) प्रत्येक व्यक्ति, जो दियासलाइयों का विनिर्माण करता है, भारतीय कारखाना अधिनियम, 1911 (1911 का 12)[2] के अधीन नियुक्त कारखाना निरीक्षक को किसी ऐसे पदार्थ के, जो ऐसे विनिमार्ण में प्रयोग में लाया जा रहा हो या प्रयोग के लिए मिलाया गया हो, विश्लेषण के लिए पर्याप्त नमूने किसी भी समय लेने की अनुज्ञा देगा :

परन्तु ऐसा कोई व्यक्ति, नमूने लेते समय और आवश्यक साधित्रों की व्यवस्था किए जाने पर, निरीक्षक से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह इस प्रकार लिए गए नमूने को दो भागों में बांट दे और उसे एक भाग, उस पर चिह्न लगाकर और उसे मोहर-बंद करके, दे दे ।

(2) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार नमूने लेने के लिए ऐसे किसी कारखाना निरीक्षक को यथापूर्वोक्त अनुज्ञा देने से इन्कार करेगा, जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

6. विक्रय का प्रतिषेध—(1) कोई व्यक्ति सफेद फास्फोरस से बनी दियासलाइयों को न तो बेचेगा और न बेचने के लिए प्रस्थापित या प्रदर्शित करेगा और न ही बेचने के प्रयोजनों के लिए उन्हें अपने पास रखेगा ।

(2) किसी ऐसे व्यक्ति को, जो उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, प्रसिडेन्सी मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट से किए गए परिवाद पर, उसके पास की ऐसी दियासलाइयां समपहृत कर लिए जाने के आदेश दिए जा सकेंगे, और इस प्रकार समपहृत दियासलाइयां नष्ट कर दी जाएंगी या उनके सम्बन्ध में ऐसी अन्य कार्रवाई की जाएगी जैसी मजिस्ट्रेट निदिष्ट करे ।

———

[1] विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा "भाग ख राज्यों" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] अब देखिए कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) ।